राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या–91/2025
अन्तर्गत
अपील संख्या–2858/2024

टिकम सिंह

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री राजेश कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका महुआ, जिला दौसा, राजस्थान।
2. श्री इन्द्रजीत सिंह, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.08.2025

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र कुमार जोशी, अधिवक्ता
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– **चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 2858/2024 में दिनांक 07.02.2025 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 07.02.2025 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :–

> ''अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि निलम्बन अवधि में देय निर्वाह भत्ता का भुगतान अपीलार्थी को नियमानुसार एक माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश के साथ प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।''

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 07.02.2025 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अधिकरण के आदेश की पालना किए जाने के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 21.02.2025 एवं 24.02.2025 प्रस्तुत किये। उक्त प्रतिवेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। अतः बिना उचित कारण के जानबूझ कर अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग माननीय अधिकरण के

आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 07.02.2025 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से अवमानना याचिका का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी को दिनांक 03.05.2024 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। अपीलार्थी ने निलंबन आदेश दिनांक 03.05.2024 को अपील संख्या 2858 / 2024 के माध्यम से चुनौती दी है। दिनांक 03.05.2024 के निलंबन आदेश के बाद, प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 18.10.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की सेवाएँ समाप्त कर दीं। उक्त तथ्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और उक्त तथ्य को छिपाकर अधिकरण ने दिनांक 07.02.2025 का आक्षेपित आदेश पारित किया है। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका की प्रति अनुलग्नक–आर–1 के रूप में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को जाली अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण दिनांक 03.05.2024 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। पूर्ण जाँच के पश्चात, अपीलार्थी को जाली अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया, अतः, नियमों और विनियमों के अनुसार, प्रतिवादी विभाग ने अपीलार्थी की सेवाएँ समाप्त कर दीं। अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2025 (अनुलग्नक–आर / 2) के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी विभाग से अपनी सेवाएँ पुनः बहाल करने का अनुरोध किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 07.02.2025 को अपनी सेवाएँ समाप्त होने की पूरी जानकारी है, फिर भी अपीलार्थी ने दिनांक 18.10. 2024 के सेवा समाप्ति आदेश के तथ्य को छिपाया है। वर्ष 2018 में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 9 के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी जाली दस्तावेज़ की स्थिति में, अभ्यर्थी की सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जाएँगी (अनुलग्नक–आर / 3। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 21. 05.2024 (अनुलग्नक–आर / 4) के पत्र द्वारा अपीलार्थी से अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, लेकिन अपीलार्थी ऐसा करने में विफल रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवमानना नहीं की है और न ही अवमानना करने का कोई इरादा है, प्रत्यर्थी विभाग माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक

07.02.2025 के आदेश के तहत दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

4. हमनें उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की। हम पाते है कि अधिकरण का आदेश पारित हुए करीब छह माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अधिकरण के आदेशों की पालना नहीं की गयी है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेशों की पालना न कर लगातार अवमानना की जा रही है।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

> ''अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि निलम्बन अवधि में देय निर्वाह भत्ता का भुगतान अपीलार्थी को नियमानुसार एक माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश के साथ प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।''

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

> *"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

> *"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में** अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

> *"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 07.02.2025 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य